बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

सं0–1/चौ0–90–01/2014 गृ0आ0........................../पटना, दिनांक..........................

भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः–(1) यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–2 के उपनियम (5) के बाद निम्नलिखित उपनियम क्रमशः (6) एवं (7) जोड़े जायेंगे, यथा :–

"(6) 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र व्यक्ति' से अभिप्रेत है वैसे चौकीदार/दफादार जिसकी अर्हक सेवा 20 वर्षों की हो गयी हो तथा उनकी उम्र 55 वर्ष से कम न हो ।

(7) 'आश्रित' से अभिप्रेत है सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्र–वधू जिसने पुर्नविवाह न की हो । "

3. उक्त नियमावली के नियम–5 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :–

(i) उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द "आठवीं" को शब्द "दसवीं अथवा समकक्ष" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) उपनियम–(7) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे, यथा :–

"परंतुक–

(क) चौकीदार सवंर्ग के कर्मचारी अपनी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृति एवं चौकीदार पद पर अपने द्वारा नामित किसी आश्रित को नियोजित करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र–सीमा संबंधी प्रावधान उन पर लागू रहेगा ।

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का इच्छुक चौकीदार संवर्ग के व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की अपनी इच्छित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व अपने पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को अपना आवेदन देना होगा ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राजीव रंजन सिन्हा)
अपर सचिव
गृह विभाग

ज्ञापांकः–1/चौ0–90–01/2014 गृ0आ0 1896 /पटना, दिनांक 05.03.14

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग बिहार, पटना/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि गजट की 500 प्रतियाँ गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(हस्ताक्षर) 5/3/14
अपर सचिव
गृह विभाग

ज्ञापांकः–1/चौ0–90–01/2014 गृ0आ0 1896 / पटना, दिनांक 05.03.14

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 5/3/14
अपर सचिव
गृह विभाग

(समाहरणालय, मधेपुरा)

ज्ञापांक 599 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 24.05.14

प्रतिलिपि :- निदेशानुसार पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0, मधेपुरा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। इस अधिसूचना को Net में डालने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर)
प्रभारी पदाधिकारी,
सामान्य शाखा, मधेपुरा
24/05/14